छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 646/2007

1. श्री कमल सोनी, – *अपीलार्थी*
   श्री अशोक राव के घर के पास,
   डंगनिया बाड़ा के बाजू में, गोड़पारा,
   बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
   कार्यालय अधीक्षक, छ0ग0 आयुर्विज्ञान संस्थान,
   बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 31 मार्च, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि यह प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है । मूल प्रकरण क्रमांक–646/2007 में आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2007 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका प्रस्तुत कर मॉग की गई थी कि आयोग द्वारा प्रति–अपीलार्थी के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति राशि 500/– रूपये अपर्याप्त है । सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–20(1) में सूचना प्रदान करने में विलंब के लिए राशि 250/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति का प्रावधान है, जो अधिकतम राशि 25000/– रूपये तक हो सकती है, अतः प्रावधान के अनुरूप शास्ति अधिरोपित की जावे । मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर उक्त प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का पुनर्विचार कर आदेश पारित करने हेतु आयोग को निर्देशित किया गया है ।

2/ मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण में सुनवाई हेतु उभय पक्ष को आहूत किया गया तथा आयोग के संयुक्त बैंच में प्रकरण की सुनवाई की गई । मूल प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 30.11.2007 को अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत अपीलार्थी को राशि 500/– रूपये की क्षतिपूर्ति देने हेतु प्रति–अपीलार्थी को निर्देश दिये गये थे, न कि अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत प्रति अपीलार्थी के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित की गई थी । प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रति–अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पत्र देकर जानकारी चाही थी कि डॉ0 बी0आर0 नन्दा दिनांक 12.01.2005 तथा 25.11.2006 को कार्य पर उपस्थित थे अथवा अवकाश पर थे । अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी से संबंधित दस्तावेज प्रति–अपीलार्थी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलार्थी को स्पष्ट उत्तर के साथ जानकारी नहीं दी जा सकी । चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी से संबंधित दस्तावेज संधारित रखने का दायित्व कार्यालय प्रमुख एवं अधीक्षक, छ0ग0 आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर का है तथा उक्त दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं थे, अतः यह माना गया कि प्रति–अपीलार्थी/जन सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने में जानबूझकर अथवा दुर्भावनापूर्वक विलंब नहीं किया गया, अतः उन पर धारा–20(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित नहीं की गई ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

3/ यह सत्य है कि अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त होने में विलंब हुआ तथा स्पष्ट उत्तर भी नहीं मिला, अतः इस कारण से अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत राशि 500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने हेतु प्रति–अपीलार्थी को निर्देशित किया गया था । अपीलार्थी के द्वारा अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत शास्ति की मॉग की गई है, परन्तु धारा–20(1) के अन्तर्गत शास्ति तभी आरोपित की जा सकती है, जबकि सूचना विलंब से उपलब्ध कराने अथवा उपलब्ध नहीं कराने का कृत्य दुर्भावनावश किया गया हो । परंतु इस प्रकरण में ऐसी दुर्भावना प्रमाणित नहीं होती, अतः प्रति–अपीलार्थी के विरूद्ध धारा–20(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

4/ प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया तथा अपीलार्थी की संतुष्टि के लिए जानकारी की अनुपलब्धता के संबंध में डॉ0 बी0आर0 नन्दा तथा अधीक्षक, छ0ग0 आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के द्वारा अतिरिक्त जानकारी के रूप में निष्पादित शपथ पत्र की प्रति अपीलार्थी को दी गई है । प्रकरण में सांगोपांग विचारण के उपरांत आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2007 को यथावत रखते हुए अधीक्षक, छ0ग0 आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके संस्थान में अभिलेख संधारण की व्यवस्था में सुधार लाने के गंभीरतापूर्वक प्रयास किये जावे तथा भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का समुचित रीति से समयावधि में पालन किया जाना सुनिश्चित हो । पूर्व में जो राशि 500/– रूपये की क्षतिपूर्ति के आदेश दिये गये थे, वह भी यदि अभी तक भुगतान नहीं की गई हो तो वह बाद में अपीलार्थी के बिलासपुर से पेशियों पर रायपुर आने के व्यय को जोड़कर बढ़ाया जाना न्यायोचित होगा । अतः निर्देश दिये जाते हैं कि अब बढ़ाकर अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत संस्थान की ओर से राशि 1500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान किया जावे ।

5/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com